छात्रवृति आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य 16 मई तक

झुंझुनूं, 08 मई : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मु. ईकबाल ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृति (रिनीवल) के वर्ष 2017–18 में किये गये आवेदन जो कि विद्यालय/कॉलेज स्तर से ऑनलाईन वेरिफिकेशन नहीं हुए है। वे विद्यालय वर्ष 2017–18 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य 16 मई तक करवा सकते हैं। स्क्रूटनी के अभाव में यदि कोई छात्र छात्रा छात्रवृति से वंचित रहता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय/कॉलेज की होगी।